



Neutral Citation No. - 2026:AHC:13255

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट ए संख्या 538 सन् 2026

शिव शंकर और 2 अन्य

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....प्रत्यर्थी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता : मोहम्मद जमील अख्तर

प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री एम.जे. अख्तर और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री गौरव सिंह को सुना गया।
2. याचिकाकर्ताओं की शिकायत यह है कि उनका चयन 29.06.1998 को निम्न क्षेत्र कार्यकर्ता के पद पर हुआ था और उनकी सेवाएँ 21.08.1998 को समाप्त कर दी गईं, जिसे रिट याचिका संख्या 994 (एसएस) 1999 में चुनौती दी गई थी, जिसमें सेवा समाप्ति के आदेश को रद्द कर दिया गया था, लेकिन याचिकाकर्ताओं को सेवा समाप्ति और बहाली के बीच की अवधि का वेतन नहीं दिया गया था।
3. विद्वान स्थायी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि याचिकाकर्ताओं के दावे पर प्रथम दृष्ट्या पाँचवें प्रत्यर्थी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कानपुर नगर द्वारा निर्णय लिया जाना चाहिए।
4. बार की ओर से दिए गए निवेदन पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निस्तारण करते हुए याचिकाकर्ताओं को निर्देश दिया जाता है कि वे **06.02.2026** तक पाँचवें प्रत्यर्थी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कानपुर नगर के समक्ष रिट याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक विस्तृत प्रत्यावेदन प्रस्तुत करें। इसके बाद, पाँचवें प्रत्यर्थी को याचिकाकर्ता के दावे पर तीन महीने के भीतर निर्णय लेना होगा।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

20 जनवरी, 2026

राजेश

Translated Version Not For Legal Use

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।